न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/160/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अरूण गुप्ता निवासी–जी–59, सूर्य नगर, अलवर		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 22.01.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 01.11.2018 के माध्यम से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 05180853637808 दिनांकः 17.05.2018 के माध्यम से 10 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की वांछा प्रत्यर्थी से की गई थी।
4. आवेदक द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 01.11.2018 में वांछित सूचनायें अपूर्ण मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 08.12.2018 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 3418 दिनांकः 15.01.19 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 01.11.2018 के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्रांकः 3078 दिनांकः 30.11.18 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर अवगत कराया जा चुका है। उक्त प्रेषित सूचना को अपूर्ण बताकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील निराधार है। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 05180853637808 दिनांकः 17.05.2018 पर पूर्ण कार्यवाही कराई जाकर व विविध प्रश्न कर सूचना उपलब्ध कराने की वांछा की गई है जिसके लिए यह अधिनियम उपयुक्त मंच नहीं है। उक्त अधिनियम अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना के गलत/सही होने व पूर्ण रूप देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लोक सूचना अधिकारी उसके क्षेत्राधिकार में उपलब्ध सूचना को लोकहित में जाहिर करने के लिए बाध्य है। काल्पनिक प्रश्नों के आधार पर सूचना तैयार किया जाना "सूचना" ना होकर "जॉच" की विषयवस्तु है जो उक्त अधिनियम की परिधि से परे है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 01.11.2018 पर पत्र दिनांकः 30.11.18 के माध्यम से किया गया विनिश्चय उचित है। अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित ।

(ओ.पी.जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)